(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 27 **नई दिल्ली,** 24 फरवरी, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, हल्दिया और कोलकाता में केओपीटी के भूमि और भवनों की दर अनुसूची के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तारीख बढ़ाता है और हल्दिया में केओपीटी के भूमि और भवनों की मौजूदा दर अनुसूची की वैधता बढ़ाता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/56/2005–केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) ----- आवेदक

आदेश

(फरवरी, 2009 के 12वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने हल्दिया में केओपीटी के भूमि और भवनों की मौजूदा किराया अनुसूची की वैधता को 31 जनवरी, 2009 तक अथवा हल्दिया और कोलकाता में केओपीटी के भूमि और भवनों के लिए किराया अनुसूची के संशोधन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश की अधिसूचना की तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हुए एक आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2008 पारित किया था और केओपीटी को निदेश दिया था कि 30 नवम्बर, 2008 तक अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करे। यह आदेश 30 अक्तूबर, 2008 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2. केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2009 द्वारा इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि हल्दिया और कोलकाता में भूमि और भवनों के लिए किराया अनुसूची के संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख मार्च, 2009 तक बढ़ाई जाए और हल्दिया में केओपीटी के भूमि और भवनों की मौजूदा किराया अनुसूची की वैधता जून, 2009 तक की अवधि के लिए बढ़ाई जाए।

3. केओपीटी ने बताया है कि उन्हें दी गई फीडबैक के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट में संशोधन करने पर उनका विचार–विमर्श जारी है। इस प्रकार, केओपीटी को कोलकाता और हल्दिया में भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय की जरूरत होगी।

4. अतः हल्दिया में केओपीटी के भूमि और भवनों की मौजूदा किराया अनुसूची की वैधता 31 जनवरी, 2009 से बढ़ाई जाती है और वैधता 30 जून, 2009 तक अथवा हल्दिया में अपने भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए केओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, बनी रहेगी। केओपीटी को हल्दिया में केओपीटी के भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने और कोलकाता में केओपीटी के भूमि और भवनों के लिए किराया अनुसूची के प्रस्ताव के लिए 31 मार्च, 2009 तक समय विस्तार प्रदान किया जाता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष